न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

<u>राजस्व अपील संख्या 06/2014</u>

अपीलांटस

1. सेनाराम पुत्र खेताराम
2. तुलसाराम पुत्र खेताराम
3. श्रीमती भीखी पत्नी खेताराम
   जाति जाट निवासी कगाउ
   तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेटस

1. गेनाराम पुत्र भीखाराम
2. रामचन्द पुत्र भीखाराम
3. चेनाराम पुत्र गंगाराम
4. कुशलाराम पुत्र गंगाराम
5. गोरधनराम पुत्र गंगाराम
6. धर्मपालसिंह पुत्र लिखमाराम
7. अजयपालसिंह पुत्र
   लिखमाराम
8. श्रीमती चिमू बेवा
   लिखमाराम
9. भीयाराम पुत्र हेमाराम
10. श्रीमति पूरों पत्नी हेमाराम
11. हेमाराम पुत्र मगाराम
12. भोमाराम पुत्र मगाराम
13. बलाराम पुत्र हरखाराम
14. सजनराम पुत्र हरखाराम
15. जोगाराम पुत्र हरखाराम
16. श्रीमती चेनी बेवा हरखाराम
17. मोटाराम पुत्र ,खीयाराम
18. रेखाराम पुत्र खींयाराम
19. रामाराम पुत्र खींयाराम
    जाति जाट निवासी कगाउ
    तहसील व जिला बाड़मेर
20. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 9.12.2010 द्वारा तहसीलदार बाड़मेर

उपस्थित–
1. श्री करनाराम चौधरी अपीलांटस की ओर से।
2. श्री चेनाराम सारण रेस्पोंडेंटस संख्या 1 से 5 व 8 से 10 की ओर से।
3. रेस्पोडेंटस संख्या 6, 7 व 11 से 19 एक तरफा।
4. रेस्पोडेंटस संख्या 20 की ओर से राजकीय अभिभाषक!

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश दिनांक 25.4..2017

1. संक्षेप में अपीलान्टस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 19 की पैतृक संयुक्त खातेदारी खेत मौजा रिड़मलोणियो की ढाणी, सिद्वोणियो की ढाणी व बांकाणा कुंआ में तहसील बाड़मर में आये हुए है। उक्त भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 19 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार काश्त करते आ रहे है तथा अपनी–अपनी आवासीय ढाणियॉ बनाई हुई है। उक्त आराजी का विभाजन करवाने हेतु पक्षकारान ने रेस्पोडेंट संख्या 20 तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष सह–खातेदारो के मध्य आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु प्रस्ताव पेश किया, जिस पर तहसीलदार बाड़मेर ने आदेश दिनांक 9.12.2010 के द्वारा विभाजन स्वीकार किया गया। उक्त विभाजन के आधर पर संबंधित हल्का पटवारी द्वारा तरमीम की गई। उक्त आदेश के तहत ग्राम रिड़मलोणियो की ढाणी के खेसरा नंबर 230/20 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 200/20 रकबा 22 बीघा 04 बिस्वा व खसरा नंबर 234/20 रकबा 31 बीघा 09 बिस्वा भूमि का विभाजन करते समय अपीलांटस की ढाणी जो खसरा नंबर 234/20 में बनी हुई थी, जो खसरा नंबर 235/20 में दर्शाई गई जिससे व्यथित होक़र अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। रेस्पोडेंटस संख्या रेस्पोडेंटस संख्या 6, 7 व 11 से 19 तक बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने के कारण इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

3. वक्त बहस अपीलांटस के अधिवक्ता द्वारा अपील विड्रो करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 5 व 8 से 10 के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई। राजकीय अभिभाषक का तर्क हैं कि तहसीलदार बाड़मेर द्वारा

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर विभाजन आदेश पारित किया गया है, जो नियमानुसार सही एवं विधि सम्मत है।

4. हमने उभय पक्षो की बहस सुनी। अपीलांटस के वकील द्वारा अपील विड्रो करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अतः अपीलांट की अपील जरिये विड्रोवल खारिज की जाती है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 25.4..2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)